न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

अपील प्रकरण कमांक 445–पीबीआर/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 17–12–2012 पारित द्वारा आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण कमांक 123/अपील/2011–12.

.....

वराह इंफा स्ट्क्चर जोधपुर
द्वारा श्री के0के0सिंह
निवासी 3/4 महाकाल वाणिज्यिक केंन्द्र उज्जैन

..... अपीलार्थी

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन,

..... प्रत्यर्थी

.....

श्री दिनेश व्यास, अभिभाषक–अपीलार्थी

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 5/8/14 को पारित)

यह अपील, अपीलार्थी द्वारा म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल ''संहिता'' कहा जायेगा) की धारा 44(2) के अंतर्गत आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–12–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि खनिज निरीक्षक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी उज्जैन को इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी द्वारा शासकीय भूमि सर्वे कमांक 124 रकबा 8.38 हेक्टेयर (छिप्रा नदी) सर्वे कमांक 377 रकबा 1.55 हेक्टेयर (नि.च.) पर से 7768/– घनमीटर मुरम का अवैध उत्खनन किया गया है, अतः अवैध उत्खनन का प्रकरण संचालक खुशवंतसिंह के विरूद्ध दर्ज कर रायल्टी रुपये 2,09,736/– के विरूद्ध रुपये 10,87,520/–

रुपये अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाना प्रस्तावित है । उक्त प्रतिवेदन के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 09/अ–67/2010–11 दर्ज कर दिनांक 28–1–2011 को आदेश पारित किया जाकर रुपये 10,87,520/– शास्ति अधिरोपित की जाकर 7 दिवस में जमा कराने के निर्देश दिये गये । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर आयुक्त द्वारा दिनांक 17–12–12 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखा जाकर अपील निरस्त की गई । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी को नदी से मुरम का अवैध उत्खनन करने संबंधी कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया है, जबकि नदी में मुरम होती ही नहीं है । यह भी कहा गया कि सूचना पत्र में उत्खनन किस दिनांक को किया गया और कितना किया गया, इसका भी कोई उल्लेख नहीं है । तर्क में यह भी कहा गया कि अपीलार्थी को जिस भूमि का पट्टा मिला था, उसके द्वारा उसी में से मुरम का उत्खनन किया गया है । इस आधार पर कहा गया कि खनिज निरीक्षक द्वारा फर्जी पंचनामा बनाकर अपीलार्थी के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है, क्योंकि दिनांक 4–12–2010 को खनिज निरीक्षक मौके पर आये ही नहीं है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि उत्खनित गिट्टी एवं मुरम सार्वजनिक उपयोग की जगह पर डाली गई है, उसका निजी उपयोग नहीं किया गया है, इसलिये भी अपीलार्थी पर शास्ति अधिरोपित नहीं की जा सकती है । प्रकरण में आयी साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि खनिज निरीक्षक मौके पर नहीं गये हैं और न ही किसी को अवैध उत्खनन करते हुये देखा है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि ग्राम सरपंच द्वारा स्वयं साक्ष्य में कथन किया गया है कि मौके पर कोई नहीं आया और न ही उसने अवैध उत्खनन करते हुये किसी को देखा है, वह स्थल पर भी नहीं गया है, पति के कहने से हस्ताक्षर किये है ।

4/ अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधिवत् कार्यवाही की जाकर अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये यह प्रमाणित पाया है कि अपीलार्थी द्वारा अवैध उत्खनन किया गया है, अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी पर रायल्टी राशि रुपये 2,09,736/– के विरूद्ध रुपये 10,87,520/– शास्ति अधिरोपित करने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है । अपीलार्थी की ओर से इस न्यायालय में भी ऐसे कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये गये है कि उसके द्वारा अवैध उत्खनन नहीं किया जाकर खनिज निरीक्षक द्वारा मौके पर फर्जी पंचनामा बनाया गया है । इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित है और उपरोक्त निष्कर्ष के साथ आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की गई है, जिसमें भी कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष विधिसंगत होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–12–2012 स्थिर रखा जाता है । अपील निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर